अमन समीर, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा

सारण समाहरणालय, छपरा
(वन स्टॉप सेन्टर)

Aman Samir, I.A.S
District Magistrate, Saran, Chapra

E-mail id : dm-saran.bih@nic.in, Phone (06152) 240001(Office) 06152- 240002 & 240005 (Residence)

पत्रांक– /..........

दिनांक–......................2024

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

विषय :– **दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जिला जिला वन स्टॉप सेन्टर के संविदा के आधार पर रिक्त पदों के नियोजन हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– महिला एवं बाल विकास निगम का पत्रांक– WCDC/2088/23, दिनांक–26.09.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में वन स्टॉप सेन्टर में विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जानी है।

अतः इच्छुक अभ्यर्थियों को उक्त पदों पर आवेदित करने हेतु इस विज्ञप्ति की दो प्रति (सी0डी0 सहित) पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध पूर्वक कहना है कि इसे कम से कम दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित कराने की कृपा करेंगे।

अनु0:– यथोक्त

विश्वासभाजन

ह0/-
जिलाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक..96......./ दिनांक....06/04............2024

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिले के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/4/24

जिलाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला वन स्टॉप सेन्टर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

सारण समाहरणालय, छपरा

वन स्टॉप सेन्टर

विज्ञापन संख्या–01/2024

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक–WCDC/2088/23, दिनांक–26.09.2023 के आलोक में वन स्टॉप सेन्टर, सारण, छपरा के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है:–

क्रम	पद का नाम	पद की संख्या तथा कोटि	आयु	योग्यता/अहर्त्ता	मूल मानदेय
01	केस वर्कर (महिलाओं के लिए आरक्षित)	02 (01 अनारक्षित एवं 01 अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	कोटिवार अनुमान्य आयु के अनुसार	**शैक्षणिक योग्यता** :–कानून / समाज कार्य / समाज शास्त्र/समाज विज्ञान/मनोविज्ञान में स्नातक **अनुभव**:– महिलाओं के मुद्दे से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना / कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव **प्राथमिकता** :–स्थानीय अभ्यर्थी के नियोजन की प्रथमिकता दी जायेगी।	22,000.00 (बाईस हजार रूपया)
02	मनो–समाजिक परामर्शी (महिलाओं के लिए आरक्षित)	01 (अनारक्षित)		**शैक्षणिक योग्यता** :– मनो विज्ञान/तंत्रिका विज्ञान (न्यूरो साईंस में स्नातक।) **अनुभव** :– महिला स्वास्थ्य के मुद्दों पर सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव ।	22,000.00 (बाईस हजार रूपया)
03	कम्प्युटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक	01 (अनारक्षित)		**शैक्षणिक योग्यता** :– कम्प्युटर/आई0टी0 में डिप्लोमा सहित स्नातक **अनुभव** :– डाटा प्रबंधन, दस्तावेजीकरण तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का राज्य या जिला स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी/आई0टी0 संस्थान में कार्य करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव।	17,000.00 (सतरह हजार)
04	बहु उद्देशीय कर्मी/रसोईया	03 (01 अनारक्षित, 01 अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं 01 अनुसूचित जाति)		**शैक्षणिक योग्यता** :– मैट्रिक **अनुभव** :– संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव	13,000.00 (तेरह हजार)

05	सुरक्षा प्रहरी/ रात्री प्रहरी	03 (01 अनारक्षित, 01 अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं 01 अनुसूचित जाति)		**शैक्षणिक योग्यता** :– मैट्रिक **अनुभव** :– सुरक्षा प्रहरी के रूप में सरकारी या प्रतिष्ठित संस्थान में राज्य या जिला स्तर काम करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव। **प्राथमिकता** :– सेना अर्द्ध सैनिक बल से अवकाश प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता।	13,000.00 (तेरह हजार)

01. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।
02. नियोजन में सरकार के द्वारा (सामान्य प्रशासन विभाग) लागु आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
03. आरक्षण का लाभ केवल उन्ही आवेदकों को मिलेगा जिसके पास बिहार का अधिवास है।
04. उम्र सीमा : संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत् होगी :–

अनारक्षित वर्ग (पुरूष)	– 37 वर्ष
अनारक्षित वर्ग (महिला)	– 40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	– 40 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (पुरूष एवं महिला)	– 42 वर्ष

05. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रायोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी।
06. कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त, ई0पी0एफ0 तथा ई0एस0आई0सी0 देय होगी।
07. संविदा के आधार पर नियुक्ति पुर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजन व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेगे न सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला वन स्टॉप सेन्टर के अधीन होगा।
08. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता/कार्य अनुभव एवं अंतवीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।
09. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्य मानी जाएगी।
10. मेधा अंक समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जायेगा। समान मेधा अंक एवं समान जन्म तिथि एक समान होने की स्थिति में लॉटरी व्यवस्था से निर्णय लिया जायेगा।
11. सभी रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु कुल–100 अंक होंगे। जिसमें शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव पर अधिकतम 75 प्रतिशत, सरकारी विभाग/संस्थान/ कार्यालय के साथ दो वर्ष से अधिक कार्य अनुभव पर 05 प्रतिशत एवं साक्षात्कार हेतु अधिकतम 20 प्रतिशत अंक निर्धारित करते हुए अंतिम मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा।
12. प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कम्प्युटर पर कार्य करने का ज्ञान रखते है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

13. कार्य अनुभवन में सरकारी विभाग/संस्था/कार्यालय में कार्यअनुभवन रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा उनका कार्य अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत ही मान्य होगा।
14. सरकारी/अर्धसरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग/संस्थान/कार्यालय में कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
15. चयन प्रक्रिया–निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों में मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थियों के उनके आवेदन में उल्लेखित ई–मेल आई0डी0 एवं जिला के वेबसाईट–saran.nic.in के माध्यम से दी जायेगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
16. विज्ञापन एवं सेवा शर्तो से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी, सारण के अधीन है। जिला पदाधिकारी, सारण विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है।
17. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 22/02/2024 समय–05 बजे अपराह्न तक अपना ऑनलाईन आवेदन **https://online.bih.nic.in/WCDCREC/Default.aspx** इस लिंक पर करेंगे। जिसमें सभी प्रमाण पत्र संलग्न रहना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
18. आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से ही स्वीकार होगा।
19. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन करते हुए आरक्षण कोटि के अनुरूप समक्ष प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की की त्रुटि होने पर आरक्षण आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
20. सभी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य होगा।
21. एक से अधिक पदों लिए अलग–अलग आवेदन मान्य होंगे।
22. भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
23. अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु वन स्टॉप सेन्टर, सारण समाहरणालय, छपरा, कार्यालय या saran.nic.in वेबसाईट का अवलोकन करते रहेंगे।

ह०/– 6/2/24

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।